



क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, एन.सी.ई.आर.टी., अजमेर

Regional Institute of Education, NCERT, Ajmer

अकादमिक शाखा
Academic Section

फा.क्र.9-बी/विविध/2024-25/2699

दिनांक 12.08.2025

आदेश

13 AUG 2025

विगत कुछ दिनों से यह जानकारी में आया है कि संस्थान के विद्यार्थी परीक्षा आयोजन तथा परीक्षा परिणाम आदि के बारे में शिक्षा मंत्रालय, परिषद तथा विश्वविद्यालय के उच्च स्तर पर ई-मेल द्वारा पत्राचार कर रहे हैं तथा परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करने के लिए अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में भी सभी विद्यार्थियों को अनावश्यक पत्राचार न करने तथा मंत्रालय, परिषद तथा विश्वविद्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने की सलाह दी जा चुकी है। सभी विद्यार्थियों को अन्तिम बार निर्देश दिये जाते हैं कि वे विभिन्न स्तरों पर अनावश्यक पत्राचार कर कार्य को बाधित न करें। सभी संस्थान विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रख कर ही कार्य करते हैं। यदि आज दिनांक के बाद भी कोई विद्यार्थी इस तरह के अनावश्यक पत्राचार/क्रियाकलाप में लिप्त पाया जाता है तो उचित कार्यवाही की जा सकती है।

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

कै. चंद्रशेखर
अधिष्ठाता 13/8/25

प्रतिलिपि:—

1. सभी विभागाध्यक्ष — अपने विभाग के विद्यार्थियों से उपरोक्त आदेश की अनुपालना करने हेतु।
2. प्रभारी, आईसीटी — संस्थान वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
3. निजी सहायक (प्राचार्य)
4. समस्त सूचनापट्ट